न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 48 / 2019 / दावा 136 एलआरएक्ट

1. लालाराम पुत्र श्री मोतीराम जाति गुर्जर निवासी सुरेरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री रामेश्वर प्रसाद बाजिया वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 18.12.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 161 रकबा 0.95 है0 ख0न0 163 रकबा 2.23 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.18 है0 जिसके पुराने ख0न0 120 व 122 तन ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें आवेदक का 1 / 3 हक हिस्सा है। जो आवेदक के नाम खातेदारी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है। प्रार्थी / आवेदक व उसके भाई गोदूराम, भादरमल ने पूर्व खातेदार तुलसीराम से दिनांक 17.03.89 को जरिये विक्रय पत्र के ग्राम सुरेरा में अवस्थित भूमियां ख0न0 120, 122 को क्रय किया था। जिनका नामान्तरण भी प्रार्थी / आवेदक व उसके भाईयो के पक्ष में नामान्तरण संख्या 732 के जरिये भरा गया। उसमे भी गोदूराम, लालाराम, भादरमल पुत्रगण मोतीराम कौम गुर्जर दर्ज है तथा सम्वत 2042—45 की जमाबन्दी में भी उक्त आवेदक का नाम राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण व जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात से प्रमाणित है जो संशोधन किये जाने योग्य है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

विवादित भूमि खसरा नम्बर 161 रकबा 0.95 है0 ख0न0 163 रकबा 2.23 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.18 है0 वाके ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी का नाम नानूराम के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम लालाराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का नाम नानूराम के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम लालाराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि जमाबन्दी सवंत 2042 से 2045 में खसरा नम्बर 120 व 122 का विकय के द्वारा गोदुराम लालालराम भारमल पुत्रगण मोतीराम कौम गुर्जर सा0 देह हिस्सा ब. स्वीकार हुआ। नामान्तरकरण संख्या 732 में भी विकय से गोदूराम लालाराम भारमल पुत्रगण मोतीराम कौम गुर्जर के नाम दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2051 में गोदुराम नानाराम भारमल पिता मोती जाति गुर्जर हि0 व सा0 देह नाम दर्ज है। सम्वत 2042–45 जमाबन्दी व विकय पत्र में प्रार्थी का नाम लालाराम दर्ज था। जो संवत 2051 की जमाबन्दी में लालाराम के स्थान पर नानाराम दर्ज हो गया जो आदिनांक चला आ रहा है आवेदक का नाम नानूराम के स्थान पर लालाराम पुत्र मोतीराम किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

आवेदन धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 161 रकबा 0.95 है0 ख0न0 163 रकबा 2.23 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.18 है0 वाके ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी का नाम नानूराम के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम नानूराम उर्फ लालाराम पुत्र मोतीराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ